

13/08/2022

आज यह पत्रावली प्रतिवादी राज्य की ओर से जवाब दे दी एवं वादिनी के वाद को लोक अदालत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम सुनवाची करने के अनुरोध पर पेशी में ली गयी। वादिनी के अभिभाषक भी उपस्थित थे। चूंकि प्रतिवादी राज्य की ओर से टल्का पटवारी नौखड़ा द्वारा मौके की रिपोर्ट जो वाद प्रस्तुतीकरण से 3 माह पूर्व की है जो अदभुत है तथा जिसमें वादी के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। बहस विद्वान काउंसिल उभय पक्ष सुनी गयी। निर्णय सुनाया गया।

द्वारा के दौरान वादिनी की खातेदारी व उसकी ग्राम की ~~बहस~~ तथ्यों पुराने नक्शों के मुताबिक करने के तथ्यों को साबित करने से वाद - वादिनी स्वीकार कर डिच्री

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किया जाकर विकृत प्रथक से लिखाया
जाकर शामिल मिसल कराया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्त
जाता दारिखत दफ्तर ही निर्णय आज
दिनांक 13/08/2022 को राष्ट्रीय लोक
अदालत में बुनाया गया।

4

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर